उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार–249404

UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION

संख्याः– 188/01/डी0आर0(डिग्री)/सेवा–2/2021–22 दिनांक : 12 अक्टूबर, 2023

विज्ञप्ति

ए०पी०आई० मेरिट के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार संशोधित कट ऑफ सूची

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन–2021 के अन्तर्गत गणित(Mathematics) विषय के लिए दिनांक 13 अप्रैल, 2022 को घोषित शार्टलिस्टिंग परिणाम में सफल अभ्यर्थियों से दिनांक 04 मई, 2022 तक प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा के क्रम में अनर्ह सूची, अभ्यर्थन निरस्त सूची एवं अधिमानी अर्हता विषयक सूचना से संबंधित सूची को आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 27 जून, 2023 को प्रसारित किया गया तथा अनर्ह सूची एवं अधिमानी अर्हता सूची के संबंध में अभ्यर्थियों को दिनांक 12 जुलाई, 2023 तक साक्ष्यों सहित प्रत्यावेदन आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदान किया गया, जिसके क्रम में मा0आयोग द्वारा प्रत्यावेदनों का निस्तारण कर दिया गया है। उक्त के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित पद के सापेक्ष 2 गुने से कम होनें के कारण मा० आयोग के निर्णय दिनांक 17जून, 2022 के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली 2012 के चतुर्थ संशोधन 2016 के नियम–05 में उल्लिखित प्राविधान के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित पद के सापेक्ष 2 गुने से कम होने पर केवल एक बार के लिए मेरिट के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार अतिरिक्त अभ्यर्थियों को संशोधित कटऑफ के आधार पर औपबन्धिक रूप से निम्न अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों को शार्टलिस्ट किया जाता हैः–

श्रेणी	पूर्व कट ऑफ	संशोधित कट ऑफ	अनुक्रमांक
1	2	3	4
UR/UF	87	85	519678, 519501, 519619, 518818, 519157, 519186
OBC/UF	81	73	519412, 519954

नोटः–UR/UF शार्टलिस्ट 08 अभ्यर्थियों में से अनु0519157, 519186 द्वारा संशोधित कट ऑफ में स्थान धारित करने के कारण मा0आयोग द्वारा अर्ह घोषित किया गया है। उक्त अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में अभिलेख आयोग को उपलब्ध कराये जा चुके है, अतः लघु विज्ञप्ति संख्या186, दिनांक 12 अक्टूबर,2023 के क्रम में पुनः अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने है।

उपरोक्तानुसार शार्टलिस्ट अभ्यर्थियों को साक्ष्यों सहित ऑनलाईन आवेदन में किये गये समस्त दावों हेतु आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए नियमानुसार 15 दिन, दिनांक 28 अक्टूबर, 2023 तक अंतिम अवसर प्रदान किया गया है, तद्पश्चात् अभ्यर्थियों के किसी भी प्रत्यावेदन/प्रमाण–पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों को इस संबंध में डाक के माध्यम से पृथक से सूचना प्रदान नहीं की जायेगी।

–SD–

(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।